न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत

राजस्व अपील सं0 115/2024 अनवान मालसिंह व अन्य बनाम शैतानसिंह वगैरा

दिनांक 20 .11.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गडरारोड (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 61/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.03.24 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी–शैतानसिंह वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील गडरारोड़ स्थित ग्राम रोहिडाला क ख.नं. 4788/3938 रकबा 1.9425 है0 भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स–अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम रोहिडाला के ख0नं0 4521/3941 रकबा 12.1406 है0 भूमि पर गत 40 वर्षो से कब्जाकाश्त है, जिस पर रहवासीय ढाणियां, पशु बाडे व टांका इत्यादि बने हुए है। उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता मंगला पुत्र तोगाराम उर्फ मंगलसिंह उर्फ तोगसिंह को आवंटन हुई थी। रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी– को सरकारी भूमि ख0नं0 4788/3988 की भूमि का आवंटन वर्ष 2013 में अपीलांट के खसरान के सेढासेढ हुआ व लट्ठा नक्शा ट्रेस में कोई तरमीम अंकित नही की गई। रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा पडौसी–अपीलांट्स से विवाद का समाधान हेतु नेखमबंदी का प्रार्धना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्विवाद पैमाईश रिपोर्ट मंगवाए बिना तथा अपीलार्थी को नोटिस तामिल करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। सिर्फ ट्रेकिंग रिपोर्ट को आधार मानकर नोटिस तामिल मान लिया गया। रेस्पो0 उक्त आदेश की आड में अपीलांट्स की भूमि को हडपना चाहते है, जबकि अपीलांट्स का कब्जा जमाबंदी में दर्ज रकबे पर ही है। अत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि वह ग्राम रोहिडाला के ख0नं0 4788/3938 रकबा 1.9425 है0 भूमि का रेकर्डेड खातेदार है व काश्त की सुविधा हेतु नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें

अपीलांट्स को बतौर रेस्पो0 सं0 1 से 3 पक्षकार संयोजित किया गया था। रेस्पो0 के सम्मन रजि0 डाक द्वारा प्रेषित किए गये। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.12.23 के अनुसार उसके द्वारा डाक रसीदे व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई। आदेशिका दिनांक 19.3.24 के अनुसार अपीलांट्स–विप्रार्थी सं0 1 से 3 बावजूद नोटिस रजि0 डाक द्वारा तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट्स को नोटिस सुनवाई दिनांक 5.9.23 का जारी किया गया था। उक्त तिथी व इसके पश्चात आगामी 3 तारीख पेशी में वह अनुपस्थित रहे। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी सं0 4–तहसीलदार गडरारोड़ की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट के बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रकट उक्त तथ्यों की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गड़रारोड (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 61/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.3.24 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 20.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

20.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर